

मार्च 2023

PRS की प्रमुख हाइलाइट्स

- **संसद**
 - वित्त वधियक, 2023
- **वित्त**
 - प्रतसिपर्द्धा (संशोधन) वधियक, 2022
 - आभासी डजिटल संपत्ति
- **पर्यावरण**
 - वन (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2023
- **वाणजिय एवं उद्योग**
 - वदिश व्यापार नीति 2023
 - जन वशिवास (प्रावधानों में संशोधन) वधियक, 2022
- **सहयोग**
 - बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) वधियक, 2022
- **रसायन एवं उर्वरक**
 - नैनो उर्वरकों पर रपिर्ट
- **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस**
 - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- **जल संसाधन**
 - भूजल पर रपिर्ट
- **आवासन**
 - PMAY-शहरी के मूल्यांकन से संबंधित रपिर्ट
- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**
 - सरोगेसी नयिम, 2022

संसद

वित्त वधियक, 2023

वर्ष 2023-23 के लिये सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने हेतु संसद ने वित्त वधियक, 2023 पारित किया। वधियक को 64 संशोधनों के साथ पारित किया गया था। वधियक की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- **नई आयकर व्यवस्था में बदलाव:** टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पाँच कर दी गई है। 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर अधिभार 37% से घटाकर 25% किया जाएगा।
- **ऋण म्युचुअल फंड से पूंजीगत लाभ:** डेट म्युचुअल फंड या बाज़ार से जुड़े डबिचर की बिक्री या हस्तांतरण से प्राप्त प्रतफिल को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा।
- **कर छूट में परिवर्तन:** समाचारों के संग्रह और वितरण हेतु गठित समाचार एजेंसियों के लिये कर छूट को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।
 - आयकर छूट का लाभ उठाने के लिये धर्मारथ ट्रस्ट्स को अपनी वार्षिक आय का 85% कल्याण कार्यों में लगाना होता है।
- **प्रकल्पित कराधान:** आनुमानिक कराधान का पात्र होने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) हेतु टर्नओवर की अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
 - आनुमानिक कराधान के पात्र प्रोफेशनल्स के लिये सकल प्राप्तियों की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है।
- **सहकारी समितियाँ:** वनरिमाण के काम में लगी नई सहकारी समितियों के लिये आयकर की दर 22% से घटाकर 15% कर दी गई है।

प्रतसिपर्द्धा (संशोधन) वधियक, 2022

- प्रतसिपर्द्धा (संशोधन) वधियक, 2022 को कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह वधियक प्रतसिपर्द्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रयास करता है।
 - अधिनियम बाज़ार में प्रतसिपर्द्धा को वनियमिति करने के लिये भारतीय प्रतसिपर्द्धा आयोग (CCI) की स्थापना करता है।

आभासी डजिटिल संपत्ति

- आभासी डजिटिल संपत्ति (जैसे क्रिप्टोकॉइन्स) में शामिल लेन-देन को वित्त मंत्रालय मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के दायरे में लाया है।
 - अधिनियम के तहत अपराध की आय को छुपाने, रखने या प्राप्त करने और इसके बेदाग संपत्ति होने का दावा करने वाले व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी होते हैं।
- मनी लॉन्ड्रिंग सात वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय है। इसमें नमिनलखिति गतविधियों को शामिल किया जाएगा:
 - वर्चुअल डजिटिल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच एक्सचेंज
 - वर्चुअल डजिटिल एसेट्स के एक या अधिक प्रकारों के बीच एक्सचेंज
 - वर्चुअल डजिटिल एसेट्स का ट्रांसफर
 - वर्चुअल डजिटिल एसेट या ऐसी संपत्ति पर नियंत्रण देने वाले उपकरणों को सुरक्षित रखना या प्रशासन करना।
 - वर्चुअल डजिटिल एसेट्स में काम करने वाली संस्थाओं (जैसे क्रिप्टोकॉइन्स एक्सचेंज) को कुछ दायित्वों को पूरा करना होगा जैसे:
 - आधार या अन्य वैध दस्तावेजों के माध्यम से अपने ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करना।
 - सभी लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखना।
 - नरिदषिट लेन-देन शुरू करने से पहले उचित सावधानी बरतना।

पर्यावरण

वन (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2023

- वन (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह वधियक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करता है जो वन भूमि के संरक्षण का प्रावधान करता है।
 - वधियक कुछ प्रकार की भूमि को कानून के दायरे में लाता और कुछ को इसके दायरे से हटाता भी है। इसके अलावा यह वन भूमि पर की जाने वाली गतविधियों की सूची को वसितृत करता है।

वाणज्य एवं उद्योग

वदिश व्यापार नीति 2023

- वदिश व्यापार नीति (FTP) 2023 को 31 मार्च, 2023 को जारी किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। नई नीति वदिश व्यापार नीति 2015-20 के स्थान पर लाई गई है, जिसे 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया गया था।

जन वशिवास (प्रावधानों में संशोधन) वधियक, 2022

- जन वशिवास (प्रावधानों में संशोधन) वधियक, 2022 पर गठित संयुक्त समिति ने 17 मार्च, 2023 को अपनी रिपोर्ट पेश की।
 - वभिन्न कानूनों के तहत अपराधों का "गैर-अपराधीकरण" कर और जेल की सज़ा को हटाकर, यह बलि कारोबारी सुगमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर वधियक 42 कानूनों में संशोधन का प्रयास करता है।

सहयोग

बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) वधियक, 2022

यह वधियक बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है जो एक से अधिक राज्यों में काम करने वाली बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को वनियमिति करता है। वधियक को 7 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था और 20 दिसंबर, 2022 को संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। अपनी रिपोर्ट में समिति ने वधियक के तहत प्रस्तावित अधिकांश संशोधनों का समर्थन किया।

रसायन एवं उर्वरक

नैनो उर्वरकों पर रपिर्त

रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने 21 मार्च, 2023 को 'सतत् फसल उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिये नैनो-उर्वरक' पर अपनी रपिर्त प्रस्तुत की। समिति के प्रमुख नषिकर्ष और सुझाव नमिनलखिति हैं:

- **नैनो-उर्वरकों का वकिस:** भारत में उर्वरकों की खपत असंतुलति है और नाइट्रोजन उर्वरकों में यूरया का हसिसा 82% है। यूरया जैसे पारंपरिक उर्वरक उपयोग इकोससि्टम को प्रदूषति करते हैं। समिति ने कहा कि भारतीय कसिन उर्वरक सहकारी लमिडिड (इफ्को) ने नैनो यूरया वकिसति कया है जो उर्वरकों के असंतुलति उपयोग को दूर करने का प्रयास करता है।
 - नैनो यूरया को फरवरी 2021 में कृषि और कसिन कल्याण मंत्रालय ने नैनो-उर्वरक के रूप में अधसूचित कया था।
- **नैनो-उर्वरकों के लाभ:** समिति ने गौर कया कि नैनो-उर्वरकों की कीमत सबसडिडि वाले पारंपरिक उर्वरकों से कम है।
- इसके परणामस्वरूप फसल की उत्पादकता बेहतर हो सकती है और कसिनों की आय में वृद्धि हो सकती है।

पेट्रोलयिम एवं प्राकृतिक गैस

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- केंद्रीय मंत्रमिडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana- PMUY) के तहत सबसडिडि को मंजूरी दी। सबसडिडि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
 - यह फूसला अंतरराष्ट्रीय तरलीकृत पेट्रोलयिम गैस (LPG) की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर कया गया है।
- PMUY को वर्ष 2016 में लॉन्च कया गया था और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना है।
- अतरिकित परिवारों को कवर करने के लिये PMUY चरण 2 (उज्ज्वला 2.0) को अगस्त 2021 में लॉन्च कया गया था।

जल संसाधन

भूजल पर रपिर्त

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने 17 मार्च, 2023 को 'भूजल: एक मूल्यवान, कति घटता संसाधन' पर अपनी रपिर्त प्रस्तुत की। समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **केंद्रीय नकियाय का गठन:** राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर कई नकियाय वर्तमान में पानी से संबंधति मुद्दों के लिये ज़मिमेदार हैं। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं।
 - केंद्रीय मंत्रालय जैसे कि जल शक्ति, ग्रामीण वकिस और कृषि एवं कसिन कल्याण मंत्रालय
 - राज्य वभिग
 - राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 - केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और **केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA)** जैसे समरपति प्राधिकरण।
- समिति ने गौर कया कि उनके बीच समन्वय की कमी है और सुझाव दया कि जल शक्ति मंत्रालय ऊपर वर्णति संस्थाओं के प्रतनिधित्व के साथ एक केंद्रीय नकियाय का गठन करे।
- **कानून:** वर्ष 1970 में सरकुलेट कये गए एक मॉडल वधियक के आधार पर 19 राज्यों में भूजल प्रबंधन पर कानून पारति कये गए हैं और अंतमि बार वर्ष 2005 में उसमें संशोधन कया गया है।
 - समिति ने कहा कि दशिया-नरिदेशों के अभाव में इन कानूनों को लागू करने में कठनाइयाँ हुईं। उन्होंने सुझाव दया कि जल संसाधन, नदी वकिस और गंगा संरक्षण वभिग इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करे।
- **सचिआई:** समिति ने कहा कि सचिआई के लिये भूजल पर अत्यधिक नरिभरता है क्योंकि धान और गन्ना जैसी जल-गहन फसलों का न्यूनतम समरथन मूल्य (MSP) अधिक होता है।
- कसिनों को वत्तिलीय सहायता और सचिआई के लिये मुफ्त या रयियाती बजिली प्रदान करने वाली योजनाओं ने इस समस्या को बढ़ाया है।
- समिति ने सुझाव दया कि जल संसाधन, नदी वकिस और गंगा संरक्षण वभिग को कृषि एवं कसिन कल्याण वभिग के साथ मलिकर काम करना चाहयि जसिसे कम पानी की खपत वाली फसलों और खेती के तरीकों को बढ़ावा दया जा सके।
- **जलवायु परविरतन:** राष्ट्रीय सौर मशिन और अन्य के साथ राष्ट्रीय जल मशिन जलवायु परविरतन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने वाले अभयानों में से एक है।
 - यह जल संसाधनों के संरक्षण, कुशल प्रबंधन और समान वतियण पर रणनीति तैयार करने और इस उद्देश्य के लिये केंद्र सरकार के वभिगों के बीच समन्वय हेतु ज़मिमेदार है। समिति ने कहा कि इस अभयान में धन तथा स्वायत्तता की कमी है और सुझाव दया कि इसे मज़बूत कया जाए।

आवासन

PMAY-शहरी के मूल्यांकन से संबंधति रपिर्त

- आवासन एवं शहरी मामलों संबंधी स्थायी समिति ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन के मूल्यांकन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
 - प्रारंभ में योजना की अवधि वर्ष 2021-22 थी, लेकिन इसे 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। समिति के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:
- आवास की मांग के आकलन में कमियाँ: PMAY-U के तहत शुरू में यह अनुमान लगाया गया था कि कुल दो करोड़ घरों की कमी है। हालाँकि योजना के तहत आवास की वास्तविक मांग 1.23 करोड़ है। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि आवास की कमी का प्रारंभिक आँकड़ा अनुमानों पर आधारित था, जबकि योजना मांग आधारित थी। समिति ने पाया कि चूँकि यह एक मांग आधारित योजना है, इसलिये हो सकता है कि कुछ बेघर लोगों ने पात्रता शर्तों को पूरा न करने या भूमिकी अपेक्षा के कारण इसका लाभ नहीं उठाया हो।
- उसने मंत्रालय को सुझाव दिया कि वह एक प्रभावी मूल्यांकन करे और उसके अनुसार, आवश्यक परिवर्तनों के साथ योजना को वस्तुतः बनाए या या शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिये एक अन्य योजना तैयार करे।
- **बुनियादी सुविधाओं की कमी:** PMAY-U दशा-नरिदेशों के अनुसार, नजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की साझेदारी में कफियती आवास के तहत सभी घरों और स्व-स्थान मलनि बस्ती पुनरुविकास (ISSR) कार्यक्षेत्र में पानी, स्वच्छता और बजिली जैसी बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिये।
 - इसके अलावा शहरी स्थानीय नकियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्रेडिट लिक्विड सबसिडी योजना और लाभार्थी आधारित निर्माण कार्यक्षेत्र के तहत घरों की ऐसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच हो। समिति ने कहा कि बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण दिसंबर 2022 तक 5.6 लाख घर लाभार्थियों को नहीं सौंपे गए थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सरोगेसी नयिम, 2022

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी नयिम, 2022 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। वर्ष 2022 के नयिमों को सरोगेसी (वनियिमन) अधिनियम, 2021 के तहत अधिसूचित किया गया था। अधिनियम के अनुसार, सरोगेसी में कोई महिला किसी इच्छुक जोड़े हेतु बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद बच्चे को उन्हें सौंपने के लिये सहमत होती है। अधिनियम के तहत इच्छुक कपल वह होता है जिसके पास चिकित्सकीय संकेत होते हैं कि उन्हें सरोगेसी की आवश्यकता है।
- 2022 के नयिमों के अनुसार, सरोगेसी करवाने वाले कपल को डोनर के शुक्राणु या ओसाइट (अपरपिकव अंडे की कोशिका) को इस्तेमाल करने की अनुमति थी। संशोधन में कहा गया है कि सरोगेसी में इस्तेमाल होने वाले मेल और फीमेल, दोनों युग्मकों को इच्छुक कपल से आना चाहिये और यह सरोगेट माता के सहमतिपत्र में तदनुसार संशोधन करता है।